कार्यालय कलेक्टर परिवर्तित शाखा रायपुर

सूचना पत्र प्रारूप अ

अपर कले0 रा.का. मामला क 53 अ-2/वर्ष 2014-15 आदेश दिनांक 11/11/14

अ.वि.अ./रा.का. मामला क 71 अ-2/वर्ष 2014-15

प्रति

आवेदक श्री/~~श्रीमती~~ सिंघानिया बिल्डकॉन प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर श्री सुबोध

~~आवेदक/पति~~ श्री सिंघानिया पिता श्री श्याम लाल निवासी हीरापुर रोड रायपुर

ग्राम हीरापुर प.ह.न. 103 रा.नि.म. रायपुर तहसील रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि अकृषि कार्य में परिवर्तित होने के कारण उस पर निम्न अनुसूचित के खण्ड-5 में लिये अनुसार राजस्व निर्धारण हो चुका है । जिसकी यथाविधि पुष्टिकरण हो गई है ।

खसरा नंबर आदि	परिवर्तित भूमि का रकबा	पूर्व की राजस्व कृषि भूमि की दर	संशोधित राजस्व अकृषि भूमि का निर्धारण हुआ	राजस्व लगान जो निर्धारित हुआ	निवास, व्यवसाय हेतु निर्धारण किया गया

खसरा नंबर 563/1, 596/4, 570, 571, 572, 594 (आवासीय/~~व्यवसायिक~~/~~उद्योग~~ प्रयोजन),

प.ह.न. 103 ग्राम हीरापुर

रकबा वर्गफुट (अंको में) कुल रकबा 76207 व.फु0 वर्गफीट लगान 9907=00 रूपये का 5 प्रतिशत अधोसंरचना विकास कर एवं 5 प्रतिशत पर्यावरण उपकर

रकबा (शब्दो में) तिहत्तर हजार दो सौ सात वर्गफुट वर्गफुट

टीप :- उक्त रकम आपको दिनांक 01.10.2014 से प्रारंभ होने वाले राजस्व वर्ष में एक ही विषय में प्रतिवर्ष तहसीलदार रायपुर को भुगतान करना होगा ।

परिवर्तित भूमि का निर्धारण लगान रूपये 9907=00 प्रतिवर्ष की दर से वर्ष 2014-15 तक निम्नानुसार :-

1-	लगान रूपये	9907=00
2-	प्रीमियम	106237=00
3-	अधोसंरचना विकासकर	495=00
4-	पर्यावरण उपकर	495=00
5-	पंचायत उपकर	x
6-	अर्थदण्ड	x

योग राशि रूपये 117134=00 अक्षरी एक लाख सत्रह हजार एक सौ चौंतीस रुपये

प्रस्तुत मूल चालान कमांक 15320087 दिनांक 13/11/14 को भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा रायपुर में जमा किया गया । प्रकरण में धारा 59 (2) के तहत पुनः निर्धारण किया गया । धारा 172(1) के तहत व्यपवर्तन अनुज्ञा नही माना जावे ।

टीप :- शर्ते : आवेदक भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनावेदक को एक अभिविन्यास अनुमोदन कराकर समस्त विभागों से विधिवत अनुज्ञा प्राप्त करेगा । बिना अनुमति के अन्य प्रयोजनों में उपयोग न किया जावे । बिना अनुमति के उप विभाजन न करने नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय रायपुर छ0ग0 के द्वारा आरोपित शर्तो का पालन किया जावे तथा आवेदक उपर्युक्त निर्दिष्ट समयावधि के भीतर वार्षिक भू-राजस्व जमा करने में विफल होता है तो ऐसा कालावधि की समाप्ति से प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान करने का भी दायी होगा ।

अपर कलेक्टर
रायपुर

रायपुर दिनांक

क्र0/ /वाचक/परि0 भूमि/2014

प्रति :- अनुविभागीय अधिकारी रायपुर को आदेश क्र0/क/परि0भू0लि0अ0वि0अ0 दिनांक 18.09.2012 के अनुसार सूचनार्थ ।

For, Singhania Buildcon Pvt. Ltd.

अपर कलेक्टर
रायपुर

Director

परिशिष्ट

रायपुर

जरवाय / हीरापुर

१०३/३५

क्रमांक (1)	पूर्वस्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम (2)	खाते में शामिल प्रत्येक पू-मापन क्रमांक का क्र. (3)	प्रत्येक पू-मापन क्रमांक का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल (4)	किस्तों के ब्यौरे (5)	पू-राजस्व (6)	उप-कर (अबवाब) (7)	योग (8)	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम (9)	भुगतान की तारीख (10)	पू-राजस्व (11)	उप-कर (अबवाब) (12)	योग (13)	रकम जमा करने वाले का नाम (14)	जमा करने की तारीख (15)	[illegible] (16)	[illegible] (17)	[illegible] (18)
				बकाया पहली किस्त दूसरी किस्त योग													
८१६	सिंघानिया	५६३/१															
	बिल्डकान प्रा० लि०	५९६/५	0.60४	२०१४/२०१५	९९०६=०	९९०६=०											
	बारा डायरेक्टर	५६०	६६२०६														
	सुबोध सिंघानिया	५६१	१.५	पिता	४९५=०	४९५=०											
	पिता श्यामलाल	५६२		पर्या.	४९५=०	४९५=०											
	सि० हीरापुर	५९४	प्रत्याशी		१०६२३६=०												
	रोड रायपुर भूमि																

कार्यालय परि भूमि शासन अ. कलो / रा.मा.कु. ५३ / अ-२ वर्ष १३-१४

अ.वि.अ. / रा.मा.कु. ६१ / अ-२ वर्ष १४-१५ अ.क्र. ११/११/१४

(इस अनुसार आवासीय प्रयोजन हेतु पूर्व निर्धारण किया जाय)

प्रतिलिपि

[signature] 27/04/2015

प.ह.नं. 103/ तहसील रायपुर

For, Singhania Buildcon Pvt. Ltd.

Director

न्यायालय अपर कलेक्टर (परिवर्तित शाखा) रायपुर,(छ0ग0)

सूचना पत्र प्रारूप अ

अपर कले. रा.का.मामला क्र. / **702** ए–2 / वर्ष 2014–15 आदेश दिनांक **08.09.2015**

उप.कले. / रा.का.मामला क्र. / **4346**ए–2 / वर्ष 2014–15

प्रति,

मेसर्स सिंघानिया बिल्डकॉन प्रा0लि0, द्वारा डायरेक्टर श्री सुबोध सिंघानिया पिता श्री श्यामलाल सिंघानिया, कार्यालय– श्याम चेम्बर, हीरापुर रोड, रायपुर तहसील व जिला रायपुर, (छ.ग.) द्वारा ग्राम **जरवाय उर्फ हीरापुर** प0ह0नं0– **103 / 34** तहसील व जिला–**रायपुर** (छ.ग.)

आपको सूचित किया जाता है कि निम्नालिखित भूमि अकृषि कार्य में परिवर्तन होने के कारण उस पर निम्न अनुसूचित के खण्ड 5 में लिये अनुसार संशोधित राजस्व निर्धारण हो चुका है। जिसकी यथा विधि पुष्टिकरण हो गई है

ख.न. आदि	परिवर्तित पूर्व भूमि का रकबा	राजस्व कृषि भूमि की दर	संशोधित राजस्व अकृषि पर निधारण हुआ।	भू–राजस्व जो निर्धारित हुआ	निवास व्यवसाय हेतु निर्धारण किया गया

खसरा नम्बरः– **565, 567 का भाग, 581 / 21, 592, 595, 593, 596 / 3, 567का भाग, 563 / 1का भाग, 596 / 4का भाग,**

("आवासीय, सुविधाजनक दुकाने एवं व्यवसायिक प्रयोजन हेतु")

प.ह.न. **103 / 34**ग्राम–**जरवाय उर्फ हीरापुर** प्रयोजन हेतु रकबा वर्ग फुट में (अंको मे) **1,03,726**व.फु. भू–राजस्व आवसीय प्रयोजन हेतु **11,778=00,**रूपये, व्यवसायिक कार्यालय सुविधाजनक दुकाने **2494=00रू0,**05 प्रतिशत अधोसंरचना विकासकर एवं 5प्रतिशत उपकर, रकबा(शब्दों में):–**एक लाख तीन हजार सात सौ छब्बीस वर्गफुट** मात्र ,

टीपः उक्त रकम आपको दिनांक 01.10.2015 से प्रारंभ होने वाले राजस्व वर्ष में एक ही विषय में प्रतिवर्ष तहसीलदार **रायपुर,** को भुगतान करना होगा।

परिवर्तित भूमि का निर्धारित भू–राजस्व रूपयेः– **आवासीय प्रयोजन 11,778=00रूपये**, व्यवसायिक सुविधाजनक दुकाने प्रयोजन **2494=00रू0** प्रतिवर्ष की दर से वर्ष **एवं 2014–15** से निम्नानुसार –

		आवासीय प्रयोजन	व्यवसायिक सुविधाजनक दुकाने
1.	भू–राजस्व रूपये	11,778=00 रू0	2,494=00 रू0
2.	प्रीमियम	1,68,400=00रू0	30,500=00 रू0
3.	अधोसंरचना विकासकर	589=00रू0	125=00 रू0
4.	पर्यावरण उपकर	589=00रू0	125=00 रू0
5.	पंचायत उपकर –	निरंक,	निरंक
6.	अर्थदण्ड –	निरंक,	निरंक

योग राशि :–**2,14,600=00** अक्षरी– **दो लाख चौदह हजार छः सौ रूपये मात्र**। प्रस्तुत मूल चालान क्रमांकः– **14702191, जे / 051471512**दिनांक **10.09.2015** को भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा रायपुर में जमा किया गया। प्रकरण में 172 (1) के तहत पुननिर्धारण अनुज्ञा निम्नांकित आरोपित शर्तो के अधीन माना जावे।

टीप– 1. प्रकरण में धारा 59 (2) के तहत् पुननिर्धारण छ.ग. शासन के राजपत्र दिनांक 19.08.2013 प्रकाशित प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। इसे अनुज्ञा ना माना जावे।

2. आवेदक भवन एवं किसी भी प्रकार से निर्माण हेतु अभिविन्यास अनुमोदित कराके, संयुक्त संचालक, नगर / ग्रामीण निवेश रायपुर से लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उद्योग विभाग आदि यथा लागू हो से विधिवत अनुज्ञा प्राप्त करेगे।
3. बिना अनुमति के अन्य प्रयोजनो में उपयोग न किया जावे।
4. बिना अनुमति के उप विभाजन न करे।
5. भूमि स्वामी द्वारा शर्तो के उल्लधन करनें पर उक्त आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

अपर कलेक्टर
परिवर्तित शाखा
रायपुर (छ.ग.)

क्र. / **284** / वाचक / अपर कले. / 2015 रायपुर दिनांक **.09.2015**

प्रतिलिपि– 1.अनुविभागीय अधिकारी **रायपुर** / आरंग–अभनपुर को आदेश क्र. / क / परि.मु.लि.अ.वि.अ.दिनांक11.02.2013के संदर्भ मे सूचनार्थ।

न्यायालय अपर कलेक्टर रायपुर (छ.ग.)

अपर कलेक्टर
परिवर्तित शाखा
रायपुर (छ.ग.)

P@t

For, Singhania Buildcon Pvt. Ltd.

Director

परिवर्तित भूमि

Reg-Manual

फार्म बी-1

(परिपत्र एक-1 की कण्डिका 15 देखिए)

किस्तवन्दी खतौनी आसामीवार ग्राम का नाम अवाय तह. रायपुर प.ह.न. 103/32 रा.नि.मं. रायपुर तहसील रायपुर, जिला रायपुर वर्ष 2018-19

खाते का अनुक्रमांक	भूमिस्वामी/सहभूमिस्वामी/भूधारक का नाम	खाते का ब्यौरे: खाते में शामिल प्रत्येक भू-भाग का क्रमांक	प्रत्येक भू-भाग का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	खाता और चकबन्दी ग्राम: किस्त के ब्यौरे	भू-राजस्व	उप-कर (अवधान)	योग	खसरा: भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उप-कर (अवधान)	योग	खजाने में जमा करने के ब्यौरे: रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	वर्ष की समाप्ति पर शेष: भू-राजस्व	उप-कर (अवधान)	योग	वर्ष की समाप्ति के पश्चात् की रसूलियां: भू-राजस्व	उप-कर (अवधान)	योग	खाते की शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
									व्यवसायिक 9260229 दि. 16/08/2018													
09	मेसर्स सिंघानिया बिल्डकान प्रा०लि० द्वारा डायरेक्टर श्री सुबोध सिंघानिया पिता श्री श्यामलाल सिंघानिया निवासी हीरापुर रोड, रायपुर भूमिस्वामी	456	0.909	2018/2019	9966=10		9966=10		ए०डी० सब रजिस्ट्रार (पश्चि० भूमि आवंटन) रायपुर के आदेश क्र. 422/पश्चि० भूमि आवंटन कर्ते/व्यापार 2018 दिनांक 08/06/2018 आवंटन कर्ते/व्यापार 622/अ-2/वर्ष 2018-19 एवं आदि अ./व्यापार 4325/अ-2 वर्ष 2018/19 आदेश दिनांक 07/08/2018 के अनुसार 0.122 हे. भूमि को आवासीय एवं व्यवसायिक कार्यालय प्रयोजन हेतु रूपान्तरण किया गया।													
		456 कास्त	0.923																			
		459/29	0009	अधो०	455=10		455=10															
		462	0040	पर्या०	455=10		455=10															
		463	0.306																			
		464	0.909																			
		466/3	0.092																			
		योग 06	0.482																			
			00488																			
			9.कु.																			
		466 कास्त	0003	2018/2019																		
		468/9 कास्त	0068	अधो०	924=10		924=10															
		468/4 कास्त	00180	पर्या०	924=10		924=10															
		योग 03	0922																			
			93426																			
			9.कु.																			

(आवासीय)

(व्यवसायिक कार्यालय प्रयोजन)

प.ह.न. 103/32 तहसील रायपुर 11/05/2022

For, Singhania Buildcon Pvt. Ltd.

Director